संख्या- 12 / पी-348 (1) /अड़तीस-9-14-04(पीएमजीएसवाई)/2012 टी0सी0-।

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 29 मार्च, 2014

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 16.67 करोड की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-112/बजट-सा0/2013-2014, दिनांक-10.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 16,67,00,000/-(रूपये सोलह करोड सरसठ लाख मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- निर्मित सम्पर्क मार्गो का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जाय।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जाय।

(3)- धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

-2/

संख्या- 12 / पी-348 (2)/अड़तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आयुक्त/अपर आयुक्त, लेखा ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
वित्तीय वर्ष 2013-2014

अनुदान संख्या व नाम: 13-ग्राम्य विकास विभाग **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध मूल अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- आयोजनेत्तर **102**- सामुदायिक विकास **03**- मुख्य अधिष्ठान					
01- वेतन	3187521	86700	86700	86700	3100821
03-मंहगाई भत्ता	2658841	80000	80000	80000	2578841
06- अन्य भत्ते	---	---	---	---	---
योग-	**5846362**	**166700**	**166700**	**166700**	**5679662**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3054-सड़के तथा सेतु-आयोजनेत्तर- **04**-जिला तथा अन्य सड़कें- **105-**रख-रखाव तथा मरम्मत- **03-**उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण- **0301-**प्रधानमंत्री ग्राम सड्क योजनान्तर्गत सड्कों का					

अनुरक्षण					
29- अनुरक्षण	600000	766700	166700	166700	766700
योग-	**600000**	**766700**	**166700**	**166700**	**766700**

(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

स्वीकृत पदों में से कुछ पदों के रिक्त होने के कारण बचतें सम्भावित हुयी है।

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

आवश्यकता के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के दृष्टिगत मार्गों के अनुरक्षण हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त में उत्तर प्रदेश बजट **संख्या-R.E- 729/ई-2-दस/2014, दिनांक-29 मार्च, 2014** मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद ।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव
वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

संख्या:- 12 / पी-348 (I)/अड़तीस-9-2014-04(पीएमजीएसवाई)/2012, दिनांक- 29 मार्च , 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4 - अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
5 वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।